संख्या : 380ए/9-7-90

प्रेषक,

श्री राहुल भटनागर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 1990

नगर विकास अनुभाग–7

विषय : नेहरू रोजगार योजना के अधीन नगरीय लघु उद्यम योजना के क्रियान्वयन हेतु रूप रेखा।

महोदय,

नेहरू रोजगार योजना का संक्षिप्त विवरण शासनादेश संख्या 666 (1)/9-1-90-5 ने/90 दिनांक 9-5-1990 द्वारा प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों को पूर्व ही उपलब्ध कराया जा चुका है। इस संबंध में समस्त निकायों से यह भी अपेक्षा की जा चुकी है कि उक्त मुख्य योजना के अधीन तीन योजनाओं यथा नगरीय लघु उद्यम योजना नगरीय मजदूरी योजना एवं आवास निर्माण एवं झुग्गी झोपड़ी में सुधार की योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। योजना के कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 6259/9-1-90 ने/89 दिनांक 9-8-1990 के अन्तर्गत भी समुचित निर्देश भेजे जा चुके हैं।

2. नेहरू रोजगार योजना के अधीन "नगरीय लघु उद्यम योजना" के क्रियान्वयन हेतु एक संक्षिप्त रेखा तैयार की गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया कथित योजना के कार्यान्वयन हे तु यथोचित कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करें। साथ ही संलग्न रूप रेखा से जनपदीय समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

राहुल भटनागर
संयुक्त सचिव।

नेहरू रोजगार योजना के अधीन नगरीय लघु उद्यम योजना का क्रियान्वयन

1. उद्देश्य

नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त/बेरोजगार युवकों को स्वयं लघु उद्योग, मरम्मत कार्य तथा निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत नगरीय बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार इकाई खोलने अथवा अच्छे वेतन का रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक मरम्मत एवं निर्माण कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाना भी प्रस्तावित है। यद्यपि इस योजना का मुख्य लक्ष्य नगरीय गरीब व्यक्ति है परन्तु महिला लाभार्थियों तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लाभार्थियों तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लाभार्थियों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से आबंटित की जाने वाली धनराशि में से उसी प्रतिशत में धनराशि इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सुरक्षित कर दी जायेगी जितना इस श्रेणी के लाभार्थियों को जनसंख्या का उस स्थान पर प्रतिशत हो।

2. योजना का कार्यक्षेत्र

यह योजना उत्तर प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्र तथा नगरमहापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया में लागू समझी जायेगी।

इस योजना के अन्तर्गत वही परिवार सहायता के पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय समस्त साधनों से रुपये 7,200 से अधिक न होगी। इसके अतिरिक्त लाभार्थी को सम्बन्धित नगर क्षेत्र का मूल आवासी होना अथवा उसका कथित नगर क्षेत्र में विगत 3 वर्षों से लगातार आवासी होना आवश्यक होगा। साथ ही आवेदनकर्ता के पास राशन कार्ड का होना, जिसमें उसका तथा उसके परिवार के सदस्यों का स्पष्ट उल्लेख हो, भी आवश्यक होगा। इस मामले में आय का प्रमाण-पत्र देने का अधिकार, नगर महापालिकाओं में मुख्य नगर अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उपनगर अधिकारी स्तर से कम न हो तथा नगरपालिकाओं में अधिशासी अधिकारी एवं टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया कमेटियों में उनके सचिव का, इसके अतिरिक्त आय का प्रमाण-पत्र संबंधित तहसील के तहसीलदार से भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे लाभार्थियों के ऊपर किसी वित्तीय संस्था द्वारा लिए गए ऋण का बकाया नहीं होना चाहिए तथा उस परिवार के किसी सदस्य को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत लाभ न दिया गया हो। योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक को इस आशय का एक घोषणा-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, देना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभार्थी अपना व्यवसाय किसी वैतनिक नौकर द्वारा नहीं चलाता है।

4. योजना के कार्यान्वयन का दायित्व

इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व संबंधित स्थानीय निकाय तथा

जिला स्तर पर जिलाधिकारी का होगा।

5. चयन

लाभार्थी का चयन पात्रता के आधार पर संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा सर्वेक्षण करने के पश्चात् किया जायेगा तथा निकाय लाभार्थियों की एक सूची बनाकर उसका व्यापक प्रचार करेगी।

योजना का कार्यान्वयन स्थानीय निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंकों की चयनित शाखा द्वारा करायेगी। शाखा का चयन संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा जिला स्तरीय बैंकर्स समिति के परामर्श से किया जायेगा।

स्थानीय निकायों द्वारा चयनित लाभार्थियों को ऋण प्रार्थना–पत्र भरा कर संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा से संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा और संबंधित शाखा द्वारा प्रार्थना पत्रों का परीक्षण करके ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

6. सहायता

लाभार्थियों का चयन हो जाने के उपरान्त संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक उनके आवेदन पत्रों का परीक्षण करेंगे तथा उन्हें योजनान्तर्गत पात्र पाने की दशा में रुपये 7500 की अधिकतम सीमा तक कम्पोजिंग लोन दे सकते हैं।

लाभार्थियों को उद्यम इकाई की लागत का 25 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए रु. 4,000 होगी तथा महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली सहायता की अधिकतम धनराशि रु. 5,000 होगी। इकाई की शेष लागत का 75 प्रतिशत ऋण के रूप में अनुसूचित बैंकों द्वारा दी जायेगी। इकाई की लागत प्रत्येक उद्यम के लिए अलग–अलग निर्धारित की जायेगी तथा इसका आर्थिक मूल्यांकन बैंक द्वारा किया जायेगा। रु. 7,500 की सीमा तक ऋण राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।

7. ऋण के संबंध में गारन्टी

चूँकि लाभार्थी निर्धन वर्ग के सदस्य होंगे अतः उनसे गारन्टी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऋण की राशि से जो परिसम्पत्तियाँ सजित होंगी वह बैंक के नाम दृष्टि बन्धक समझा जायेगा।

8. ऋण की अदायगी

योजनान्तर्गत ऋण की प्राप्ति की तिथि से ऋण की अदायगी की अवधि 3 से 5 वर्ष होगी। विशेष मामलों में ऋण अदायगी की नियम/अवधि के ऊपर 6 मास का समय भी दिया जा सकता है। ऋण की अदायगी यथावश्यकता मासिक/त्रैमासिक भी हो सकती है परन्तु इसका अधिकारी ऋण स्वीकृत वाली संस्था में ही निहित होगी।

9. अनुदान के उपयोग की सूचना

बैंकों की जिन शाखाओं द्वारा यह योजना लागू की जा रही है उनके द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय को आगामी माह की 10वीं तारीख तक एक मासिक विवरण उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें स्वीकृत किये गये ऋण का विवरण एवं वितरित अनुदान का विवरण अंकित किया जायेगा।

10. अनुश्रवण

जिला स्तर पर नेहरू रोजगार योजना के अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी (महानगरों में नगर प्रमुख) की अध्यक्षता में नेहरू रोजगार योजना की अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। इस योजना का अनुश्रवण इस समिति द्वारा किया जायेगा। जिला तहसील स्तर पर इसका अनुश्रवण संबंधित बैंकर्स द्वारा भी किया जायेगा।

प्रशिक्षण

11. प्रशिक्षण

प्रशिक्षण नगरीय लघु उद्यम योजना का दूसरा महत्वपूर्ण अंश है। नगरीय बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार इकाई खोलने अथवा अच्छे वेतन पर रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेकों मरम्मत एवं निर्माण कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। औसतन प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रत्येक माह में रुपये 250/- की छात्रवृत्ति तथा रुपया 100 प्रतिमाह सामग्री हेतु दिया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी लगभग रुपये 1200/- का व्यय की सम्मिलित है।

12. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण, सामग्री, प्रशिक्षण संस्थान आदि उपलब्ध कराने हेतु जिला नेहरू रोजगार समितियाँ आवंटित धनराशि में से 15 प्रतिशत तक की सहायता प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रदान कर सकती है। निजी क्षेत्र व स्वयं सेवी संगठनों द्वारा संचालित तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं पालीटेक्निक तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का उपयोग इस प्रशिक्षण हेतु किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण हेतु इन संस्थाओं में दो शिफ्टों (पारियों) में कार्य किया जा सकता है तथा इसके लिए उनके पाठ्यक्रम में अपेक्षित संशोधन भी किया जा सकता है।

प्रशिक्षण एवं संरचनात्मक सहयोग के लिए सहायता अंश

(1) प्रत्येक प्रशिक्षाणार्थी पर आने वाला औसतन व्ययः– रुपये 1,200/-
वह व्यय मुख्य रूप से निम्न प्रकार से किया जायेगा–

(क) प्रशिक्षण कक्षा का औसत आकार	25 प्रशिक्षणार्थी
(ख) प्रशिक्षण कोर्स की औसत अवधि	3 माह
(ग) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर प्रतिमाह व्यय	1,000/- रुपये
(घ) . प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी हेतु आवश्यक	

	सामग्री पर प्रति माह होने वाला व्यय	100/- रुपये
(च)	प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह देय औसत छात्रवृत्ति	250/- रुपये

तीन माह के प्रशिक्षण कोर्स पर होने वाला व्यय

(1)	एक प्रशिक्षण को कोर्स (1000 x 3)रुपये	3,000/-
(2)	25 प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति (250 x 25 x 3) रुपये	18,750/-
(3)	25 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की सामग्री पर आने वाला व्यय (100 रुपये	7,500/- x 25 x 3)
	योग– रुपये	**300,000/-**

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर आने वाला व्यय
(30,000 / 25) रुपये 1,200/-

आई.आर.डी.पी.के समान प्रशिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता।

कोई भी प्रशिक्षण संस्थान नेहरू रोजगार योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु सहायता उपकरण / प्रशिक्षण हेतु सहायक उपकरण अथवा कार्यशाला निर्माण हेतु जिला नेहरू रोजगार योजना समिति को प्रस्ताव प्रेषित कर सकता है। जिला नेहरू रोजगार योजना समिति जिला में प्रशिक्षण आदि के लिए प्राविधानित धनराशि में से 15 प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए व्यय कर सकती है।

जन सामुदायिक केन्द्र, डिजाइन केन्द्रों, प्राविधिक उच्चीकरण मार्केटिंग आदि के लिए सहयोग

जिला नेहरू रोजगार योजना समितियाँ नगर पालिकाओं से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत के लिए संरचनात्मक सहयोग कर सकती है। शर्त यह है कि इस पर आने वाला व्यय प्रशिक्षण एवं संरचनात्मक सहयोग हेतु प्राविधानित धनराशि का 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

योजनान्तर्गत आने वाले कार्यकलापों की सूचियां।

I. नगरीय सेवाएं–जिसमें किसी विशिष्ट दक्षता की आवश्यकता नहीं है:–

(1) रिक्शा खींचना।

(2) पान तथा सिगरेट की दुकान।

(3) फलों के रस के फेरी वाले।